

अनुक्रमणिका		
विषय	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	-	v
कार्यकारी सारांश	-	vii
<b>अध्याय-I: राज्य सरकार के वित्त</b>		
परिचय	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	6
राजस्व प्राप्तियां	1.3	8
पूंजीगत प्राप्तियां	1.4	15
लोक लेखा प्राप्तियां	1.5	16
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	17
व्यय की गुणवत्ता	1.7	22
सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	24
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.9	29
ऋण प्रबंधन	1.10	34
राजकोषीय असंतुलन	1.11	40
मुख्य विशेषताएं	1.12	44
राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.13	45
निष्कर्ष	1.14	45
<b>अध्याय-II: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण</b>		
परिचय	2.1	47
विनियोजन लेखे का सारांश	2.2	47
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	50
व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन	2.4	56
लेखाओं का गलत वर्गीकरण	2.5	57
चुने हुए अनुदानों की समीक्षा	2.6	58
कोषागारों के निरीक्षण का परिणाम	2.7	60
निष्कर्ष	2.8	62

अनुक्रमणिका		
विषय	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
<b>अध्याय-III: वित्तीय विवरण</b>		
प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	63
स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा के समक्ष रखना	3.2	64
निकायों / प्राधिकरणों को प्रदत्त अनुदानों / ऋणों के विवरण का गैर-प्रस्तुतीकरण	3.3	64
दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि	3.4	65
सार आकस्मिक बिलों पर अग्रिम का असमायोजन/अनियमित आहरण	3.5	66
लेखों की शुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक	3.6	66
लेखांकन मानकों की अनुपालना	3.7	68
निष्कर्ष	3.8	68

**परिशिष्ट**

परिशिष्ट संख्या	शीर्षक	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
<b>परिशिष्ट-1</b>	<b>राज्य रूपरेखा</b>		
	क: सामान्य आंकड़े	1.1	71
	ख: वित्तीय आंकड़े	1.1	71
<b>परिशिष्ट-1.1</b>	भाग-क: सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप	-	72
	भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा	-	73
<b>परिशिष्ट-1.2</b>	भाग-क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्य पद्धति	-	75
	भाग-ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित)	1.1.2	77
<b>परिशिष्ट-1.3</b>	राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े	1.3 तथा 1.11.3	78
<b>परिशिष्ट-1.4</b>	भाग-क: वर्ष 2018-19 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.1.1	81
	भाग-ख: 31 मार्च 2019 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	1.9.1	84
<b>परिशिष्ट-1.5</b>	2017-18 एवं 2018-19 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी	1.2.1	86
<b>परिशिष्ट-1.6</b>	क्षेत्र-वार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.8.2.1	89
<b>परिशिष्ट-1.7</b>	आंकड़ों में अन्तर प्रदर्शित करती विवरणी (राज्य सरकार द्वारा सूचित वित्त लेखों के आंकड़ों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार)	1.8.2.1 तथा 1.9.4.1	90
<b>परिशिष्ट-1.8</b>	30 सितम्बर 2019 तक लाभ दर्ज करने वाले कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का ब्यौरा	1.8.2.1	91
<b>परिशिष्ट-1.9</b>	उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का विवरण जिनके लेखे बकाया है	1.8.2.1	92
<b>परिशिष्ट-1.10</b>	राज्य सरकार द्वारा निवेशित घाटे वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनके लेखे बकाया थे, का विवरण	1.8.2.1	93
<b>परिशिष्ट-1.11</b>	हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की लोक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्रास्थिति	1.8.2.2	94
<b>परिशिष्ट-2.1</b>	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जिनमें व्यय आधिक्य प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी	2.2.2 तथा 2.3.1	96
<b>परिशिष्ट-2.2</b>	नियमन के लिए अपेक्षित विगत वर्षों के प्रावधानों पर आधिक्य	2.3.1	97
<b>परिशिष्ट-2.3</b>	नियमन के लिए अपेक्षित 2018-19 के दौरान प्रावधान पर आधिक्य	2.3.1	98
<b>परिशिष्ट-2.4</b>	मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.1.1	99

परिशिष्ट संख्या	शीर्षक	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट-2.5	विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुए	2.3.1.1	100
परिशिष्ट-2.6	निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.3.2	101
परिशिष्ट-2.7	व्यय का तीव्र प्रवाह	2.3.3	102
परिशिष्ट-2.8	विभिन्न अनुदान जहां बचत प्रत्येक ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण	2.2.2 तथा 2.3.4	104
परिशिष्ट-2.9	विभिन्न अनुदानों का विवरण जहां 2014-19 के दौरान निरंतर बचतें (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) हुईं	2.3.4.1	105
परिशिष्ट-2.10	क: वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए अत्यधिक अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.4.2	106
परिशिष्ट-2.11	ख: वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.4.2	109
परिशिष्ट-2.12	31 मार्च 2019 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाती विवरणी	2.3.4.2	112
परिशिष्ट-2.13	31 मार्च 2019 को व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में अव्ययित शेष दर्शाने वाली विवरणी	2.4	114
परिशिष्ट-2.14	लघु शीर्ष 800 - अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत बुक राजस्व प्राप्तियां	2.5.2	116
परिशिष्ट-2.15	लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय के अंतर्गत बुक राजस्व व्यय	2.5.2	117
परिशिष्ट-2.16	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुक की गई फ्लैगशिप योजनाएं	2.5.2	118
परिशिष्ट-2.17	उन मामलों की सूची जहां 2018-19 के दौरान अत्यधिक अभ्यर्पण हुए	2.6.1	119
परिशिष्ट-2.18	उन मामलों की सूची जहां 2018-19 के दौरान मूल प्रावधान से अधिक व्यय (प्रत्येक में ₹ 15 लाख तथा उससे अधिक अथवा 20 प्रतिशत या उससे उपर) हुए	2.6.2	120
परिशिष्ट-2.19	अप्रयुक्त बजट प्रावधान/ बचतों (प्रत्येक में ₹ 20 लाख व उससे अधिक अथवा 20 प्रतिशत व उससे उपर) का विवरण	2.6.2	121
परिशिष्ट-2.20	बिना बजट बिलों का अनुमोदन	2.7.3	122
परिशिष्ट-2.21	संस्वीकृत बजट से अधिक राशि का अनुमोदन	2.7.3	123
परिशिष्ट-3.1	31 मार्च 2019 तक बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र	3.1	125
परिशिष्ट-3.2	स्वायत निकायों द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति एवं राज्य विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण को दर्शाती विवरणी	3.2	130
परिशिष्ट-3.3	चोरी, दुर्विनियोजन/हानि, आदि के मामलों का विभागवद्ध एवं अवधिवद्ध ब्यौरा	3.4	131
परिशिष्ट-3.4	सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवद्ध/श्रेणीबद्ध ब्यौरा	3.4	132
परिशिष्ट-3.5	सार आकस्मिक बिल (ए.सी. बिल) से आहरित बकाया अग्रिमों तथा उनके समायोजन (विस्तृत आकस्मिक बिल) (डी.सी. बिल) का विवरण	3.5	133
परिशिष्ट-4	शब्दावली	-	134